(150)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / छिंदवाड़ा / भूरा / 2018 / 2305 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 01—01—2018 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला छिंदवाडा के प्रकरण कमांक 427 / अपील / 2016—17.

.....

गिरधारी पवार पुत्र श्री आशाराम पवार
निवासी ग्राम खजरी तहसील व जिला
छिन्दवाड़ा म0 प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1—श्रीमती सावित्री बाई बरकड़े पति श्री सुमरन बरकड़े
2—सुमरन बरकड़े पिता श्री बाबूलाल बरकड़े
निवासीगण ग्राम खजरी तहसील व जिला
छिन्दवाड़ा म0 प्र0
3—म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला छिन्दवाडा

———अनावेदकगण

.....

श्री अजय सिंह रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक क0 1, 2
शासन के पैनल अभिभाषक अनावेदक कमांक—3

.....

आदेश

(आज दिनांक 31/08/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला छिंदवाडा पारित आदेश दिनांक 01—01—2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका सावित्री बाई पति सुमरन बरकड़े जाति गोड़ निवासी खजरी तहसील व जिला छिन्दवाड़ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 3.10.15 को आवेदन प्रस्तुत किया जाकर अवगत कराया गया कि आवेदिका का पति भारतीय नौ सेना में था, इसलिये वह वाहर रहते हैं, उसकी पैत्रिक भूमि ग्राम खजरी में स्थित खसरा कमांक 7, 9, 10 रकवा 0.129, 0.024, 4.537 कुल रकवा 4.690 है0 संयुक्त खाते में दर्ज थी। परानी बाई आवेदक की आजी थी, उसकी स्वामित्व की भूमि पांढरी माली ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। धारा 170 (ख) लागू होती है। वापिस कब्जा दिलाये जाने की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को आहूत कर जबाव लिया गया। अनावदेक द्वारा कंडिका 1 से 9 तक के कथनों को इंकार कर अतिरिक्त कथन में कहा है कि अनावेदक कमांक–1 की भूमि खसंरा कमांक 7, 9, 10 रकवा 0.129, 0.024, 4.537 कुल रकवा 4.690 है0 वर्ष 1975 में भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी पंढरी पिता गोमा जी कुनबी से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी जब से वह काबिज होकर कास्त कर रहा है। अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाडा द्वारा दिनांक 18.7.17 को आवेदक गिरधारी पिता आशाराम के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र निरस्त कर मृतक परानीबाई के विधिक वारिसानों के नाम सुमरन पिता बावूलाल एवं सावित्रीबाई पति सुमरन का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला छिन्दवाडा के न्यायालय में अर्पील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 427/अपील/2016–17 पर दर्ज कर दिनांक 1.1.18 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुये अपील निरस्त की गई, इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 मुख्यपीठ जबलपुर के समक्ष एक रिट याचिका कमांक 7314/2018 प्रस्तुत की गई थी जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 4.4.18 को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुये इस निर्देश के साथ की गई कि निगरानीकर्ता राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें, इसी के तारतम्य में एवं कलेक्टर जिला छिन्दबाड़ा के आदेश दिनांक 1.1.18 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम खजरी स्थित उक्त कृषि भूमि खसरा कमांक 296 के कलांतर में विभाजित हुई और खसरा पांचसाला वर्ष 1956–57 से वर्ष 1962–63 तक खसरा वर्ष 1959–60 से वर्ष 1962–63 तक एवं वर्ष 1964–65 से वर्ष 1967–68 तक के मध्य खसरा कमांक 296/1 रकबा 11.21 एकड़ एवं खसरा कमांक 296/2 रकबा 0.06 एकड़ भूमि सरकारी घास मद में दर्ज रही तथा राजस्व अभिलेखों के कॉलम 18 एवं 19 में उक्त भूमि के पटट्ाधारी के रूप में श्री पंढरी वल्द श्री गोमा जी का नाम दर्ज रहा। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम खजरी प.ह.न. 95 रा.नि.म. तह0 जिला छिन्दवाड़ा स्थित खसरा कमांक 7 (पुराना 427) रकबा 0.32 एकड़ खसरा कमांक 9 (पुराना 296/2) रकबा 0.06 एकड एवं खसरा कमांक 10 (पुराना 296/1) रकबा 11.21 एकड़ भूमि जो वर्ष 1914–15 में भूमि स्वामी श्री उमेदचंद सदर नंबरदार के स्वत्व की भूमि थी। तत्पश्चात् वर्ष 1959 से लेकर वर्ष 1962–63 तक शासकीय घास मद में दर्ज रही, तत्पश्चात वर्ष 1967–68 में भूमि का भूमि स्वामित्व हक में पटट्ा श्री पंढरी आत्मज श्री गोमाजी को शासन द्वारा प्रदान किया गया, जो दिनांक 13.1.1975 को पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा आवेदक श्री गिरधारी पवार द्वारा कय की गई। इस भूमि के खसरा कमांक 7 के भाग रकबा 0.10 एकड़ पर श्री लखन पवार का मकान एवं बाड़ी स्थित है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मूल आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 170 (ख) सहपठित धारा 165 (6) एवं 7 (ख) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता का विरोध करते हुये आवेदक के द्वारा जबाव दिनांक 16.3.16 को प्रस्तुत किया गया किन्तु अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाडा द्वारा कार्यवाहियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत असत्य विवरणों एवं शासकीय राजस्व अभिलेखों से समर्थित न होने वाले तथ्यों के आधार पर आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर आक्षेपित आदेश दिनांक 18.7.17 को पारित कर अनावेदकगण को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाडा का आदेश दिनांक 18.7.17 एवं कलेक्टर जिला छिन्दवाडा का आदेश दिनांक 1.1.18 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदक कमांक–2 की आजी परानीबाई पति गलझरिया गौड नेत्रहीन एवं निसंतान थी। परानीबाई अंतिम समय तक अनावेदक कमांक–2 के साथ रहीं । उनकी मृत्यु के बाद पंढरी माली ने अपना नाम कैसे दर्ज करवा लिया कोई जानकारी नहीं है। आवेदक द्वारा खसरा नं0 10 का रकबा बढाते हुये खसरा नंबर 8/2 के रकबे की 2 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा वाद कमांक 15ए/2014 में पारित आदेश दिनांक 27.8.15 को निर्णय पारित कर खसरा नंबर 7, 9 एवं 10 में वर्णित भूमि का भूमिस्वामी गिरधारी को मानने से इंकार किया है। पंढरी द्वारा पटवारी से सांठ गांठ कर अवैध रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया था, और आवेदक गिरधारी को दिनांक 13.1.75 को विकय कर दिया गया है जिसे अनुविभागयी अधिकारी द्वारा जांच एवं साक्ष्य लेने के पश्चात अनावेदक के नाम भूमि दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो विधि प्रावधानों से उचित है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को विकय करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है। माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक को वैधानिक स्वत्वाधिकारी नहीं माना है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित हैं उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। शासन के अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक गैर आदिवासी व्याक्ति है, और आदिवासी की भूमि कय करने से पहले कलेक्टर की स्वीकृति लेना आवश्यक है जो उनके द्वारा नहीं ली गई है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाडा का आदेश दिनांक 18.07.2017 एवं कलेक्टर जिला छिंदवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2018 स्थिर रखे जावें।

6—उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदिका सावित्री बाई पति सुमरन बरकड़े जाति गोड़ निवासी खजरी तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 3.10.15 को आवेदन प्रस्तुत किया जाकर अवगत कराया गया कि अनावेदिका का पति भारतीय नौ सेना में होने के कारण वह वाहर रहते थे। उसकी पैत्रिक भूमि ग्राम खजरी में स्थित खसरा कमांक 7, 9, 10 रकवा 0.129, 0.024, 4.537 कुल रकवा 4.690 है0 संयुक्त खाते में दर्ज थी। उक्त भूमि उमराव गोंड के नाम पर दर्ज थी उमराव के फौत होने पर वारिसान पुनिया बेवा फत्ते गोंड के नाम से दर्ज हुई। पुनिया बेवा फत्ते के फौत होने पर परानी बाई पुत्री उमराव पति गलझरिया के नाम पर दर्ज हुई। परानी बाई नेत्रहीन एवं निसंतन थी। परानी बाई अनावेदक कमांक 2 बाबूलाल बरकडे की बड़ी मां थी, और अंतिम समय तक वह उनके पास रही। उनकी मृत्यु के पश्चात पंढरी पिता गोमाजी कुनबी द्वारा उक्त भूमि को कपटपूर्ण ढंग से अपना नाम दर्ज करबा कर आवेदक गिरधारी को विकय कर दिया गया। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। आवेदक द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा वाद कमांक 15ए/2014 दायर किया था जिसमें पारित आदेश दिनांक 27.8.15 को निर्णय पारित किया जिसमें कण्डिका—19 में खसरा नंबर 7, 9 एवं 10 में वर्णित भूमि का भूमिस्वामी आवेदक गिरधारी को मानने से इंकार किया है। माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक गिरधारी को भूमिस्वामी ही नहीं माना है और आदेश की कण्डिका कमांक 20 में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनावेदक चाहे तो वह आवेदक को विधि की सम्यक प्रकिया के अनुसार बेदखल कर सकता है। इससे यह तो स्पष्ट है कि माननीय व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है।

7—मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 74 पर संलग्न राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें कण्डिका 2 में लेख किया गया है कि मिसल वर्ष 1914—15 में खसरा कमांक 427 रकबा 0.32 एकड़ खसरा कमांक 296/2 रकबा 0.06 एकड एवं खसरा कमांक 296/1 रकबा 11.21 एकड़ भूमि जो वर्ष 1914—15 में भूमि स्वामी

सुकिया बेवा फत्ते गोड व दुल्ले जोजे उमरवा गोंड सा0 देह मामूली के नाम दर्ज था। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंढरी पिता गोमाजी कुनबी के नाम अधिकार अभिलेख में किस वर्ष आया जानकारी उपलब्ध नहीं है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि पंढरी पिता गोमाजी के पूर्वजों के नाम नहीं रही है, और इस तथ्य का उल्लेख कलेक्टर जिला छिन्दवाडा द्वारा अपने आदेश के पैरा–11 में किया गया है। वर्णित प्रावधानों के आलोक में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.07.17 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाडा का आदेश स्थिर रखा गया है।

8–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाडा का प्रकरण कमांक 2/अ–23/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18.7.17 एवं कलेक्टर जिला छिन्दवाडा के प्रकरण कमांक 427/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 01.01.2018 स्थिर रखे जाते हैं । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर